



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 497 राँची, गुरुवार, 6 अक्टूबर, 2022 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2022

संख्या-ख०नि०(विविध)-117/2017-2090--एम0, Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के प्रावधानों के तहत झारखण्ड राज्यान्तर्गत बालूघाटों को दो श्रेणियों यथा श्रेणी-I एवं श्रेणी-II में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय) संशोधन निमयावली, 2017 के नियम-12(4) के तहत श्रेणी-II के बालूघाटों के संचालन हेतु सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को Deemed Lessee घोषित किया गया है। उक्त के आलोक में Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका-4(b) में निहित प्रावधान के तहत सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को राज्यान्तर्गत श्रेणी-II के बालूघाटों के संचालन का दायित्व 05 वर्षों के लिए सौंपा गया था, जिसकी अवधि दिनांक-15.08.2022 को समाप्त हो गयी है।

2. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.09.2022 के मद संख्या-31 पर प्राप्त सहमति के आलोक में सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को राज्यान्तर्गत श्रेणी- II के सभी बालूघाटों के संचालन की अवधि दिनांक-16.08.2022 से अग्रेतर तीन वर्षों तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव
